कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उत्तर प्रदेश , प्रयागराज

पत्रांक:ले०ह०2/03/वनलेखा/मिलान/ ग्रुप- /2022-23 दिनांक

सेवा मे,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक

अधीनस्थ सभी प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के त्रैमासिक आंकड़ो के मिलान के संबंध मे।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या नि०स०प्र०/म०लेखा/356 दिनांक 11/12/2012 का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा पूर्व मे सूचित किया जा चुका है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के आय-व्यय के आंकणों का मिलान निर्धारित तिथि क्रमशः 25 अगस्त ,25नवंबर,25फरवरी एवं 25मई तक अवश्य करा लिया जाना चाहिए किंतु प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास के विभिन्नता विवरण विलंब से प्रेषित किए/ नहीं प्रेषित किए जाने के कारण इस कार्यालय द्वारा मिलान की प्रक्रिया निर्धारित अवधि मे पूर्ण नहीं की जा सकी, जिसे महालेखाकार महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके प्रभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के चतुर्थ त्रैमास तक के आय-व्यय के प्रगामी आंकणों का विभिन्नता विवरण दिनांक 15/05/2023 तक निर्धारित निम्नवत प्रारूप में इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ताकि मिलान प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके तथा आकड़ों में भिन्नता होने की स्थित में मार्च (पूरक) लेखाबन्दी के पूर्व संशोधन किया जा सके।

मिलान हेतु प्रारूप-

कम संख्या	अनुदान	योजना का विवरण/मानक मद (15 अंकीय विवरण कोड सहित)	प्राप्त आवंटन (धनराशि रु० में)	प्रभाग के आंकड़े (धनराशि रु० में)	वेवसाइट पर महालेखाकार के आंकड़े (धनराशि रु० में)	अन्तर की राशि	अन्तर का माह

यदि प्रभाग द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय त्रैमास के आंकड़ों का मिलान भी प्रेषित नहीं किया गया हो तो उक्त मिलान को भी साथ में संलग्न कर उक्त तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आंकड़ों का मिलान न कराये जाने की स्थित में लेखा संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए संबन्धित प्रभाग पूर्णतः उत्तरदायी होगा एवं इस कार्यालय द्वारा पुस्तांकित आंकड़े ही अंतिम एवं मान्य होंगे।

भवदीय

ह०/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/वन लेखा

पत्रांक:ले०ह०2/03/वनलेखा/मिलान/ ग्रुप- /2022-23 T.R.No 258 तददिनांक 9-5-2023

प्रतिलिपि: वरिष्ठ लेखाधिकारी / कंप्यूटर प्रकोष्ठ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति को कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/वन लेखा